"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2002—श्रावण 11, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-70/2002/वाक/पांच (89).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-35-99-विक-पांच (64), दिनांक 10-7-99 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना में, अनुसूची में—

1. अनुक्रमांक 5 में कालम (2) में प्रविष्टि (1) में शब्द "धान को अपवर्जित कर" जोड़े जायेंगे.

2. अनुक्रमांक 5 में प्रविष्टि (2) के बाद निम्न जोड़ा जायेगा :—

(3) धान	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से	धारा 9 के अधीन कर पूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-10-70/2002/वाक/पांच (89).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-70/2002/वाक/पांच (89), दिनांक 2-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 2nd August 2002

NOTIFICATION

No. F-10-70/2002/CT/V (89).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby amends the Notification No. A-3-35-99-ST-V (64), dated 10-7-99 as given below :—

AMENDMENT

In Schedule to the Notification—

1. In Serial No. 5 in column (2) in entry (1) the words "excluding paddy" shall be added.

2. In Serial No. 5 after entry (2) following shall be added :—

(3) Paddy	Form the date of publication in Gazette	Whole of tax under Section 9

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.